दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 15 ▸ अंक : 11 ▸ गाजियाबाद, नवंबर, 2019 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@gmail.com

दिल्ली में रोज 27 लोगों की सांस की बीमारी से... P-7

इलाहाबाद हाईकोर्ट का 2010 का 8,189 पेज का फैसला		सुप्रीम कोर्ट का 1,045 पेज का फैसला
2.77 एकड़ जमीन तीन पक्षों में बराबर बांटी गई थी।	जमीन	पूरी विवादित जमीन की रिसीवर केंद्र सरकार ही रहेगी।
निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई सहित उसका हिस्सा दिया गया था।	हिंदू पक्ष	विवादित जमीन पर नियंत्रण का निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज। उसे ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिलेगा।
विवादित भूमि का एक तिहाई बाहरी हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था।	मुस्लिम पक्ष	सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मिलेगी।

आगे क्या

राम मंदिर : केंद्र को तीन महीने में ट्रस्ट की रूपरेखा बनानी होगी। वह मंदिर निर्माण के लिए जमीन ट्रस्ट को सौंपेगा।

मस्जिद : प्रशासन अयोध्या में नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराएगा।

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। शनिवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर पहुंचे. पांच जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया।

खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी मस्जिद

फैसले में एएसआई (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था. विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था. कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हालांकि, कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है. लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है. वहीं, कोर्ट ने 6 दिसंबर 1992 को गिराए गए ढांचे पर कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन था. ये तमाम बातें कहने के बाद कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक बताया. हालांकि, कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावों को खारिज कर दिया।

निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

निर्मोही अखाड़े की लिखित दलील में कहा गया था कि विवादित भूमि का आंतरिक और बाहरी अहाता भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मान्य है. हम रामलला के सेवायत हैं और ये हमारे अधिकार में सदियों से रहा है. निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलील में कहा था कि हमें ही रामलला के मंदिर के पुनर्निर्माण, रखरखाव और सेवा का अधिकार मिलना चाहिए. अखाड़े के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया और विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए अलग से ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया. वहीं, शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो एक शिया थे, ऐसे में यह मस्जिद सुन्नियों को नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के इस दावे को भी खारिज कर दिया.

केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश

विवादित जमीन पर रामलला का हक बताते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का भी आदेश दिया. इस ट्रस्ट के पास ही मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी. यानी अब राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और इस पर अब आगे का काम केंद्र की मोदी सरकार को करना है.

मुस्लिम पक्ष को भी जमीन

कोर्ट ने विवादित जमीन पर पूरी तरह से रामलला का हक माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या में जमीन देने का आदेश दिया है.

शेष पृष्ठ तीन पर

- न्यायालय ने निमोर्ही अखाड़े की समूची विवादित जमीन पर दावे की याचिका को खारिज किया।
- न्यायालय ने केंद्र को मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में योजना तैयार कने और न्यास बनाने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने मुसलमानों को नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया।
- बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाना कानून के खिलाफ था।
- हिंदू ये स्थापित करने में सफल रहे कि बाहरी बरामदे पर उनका कब्जा था।
- स्थल पर 1856-57 में लोहे की रेलिंग लगाई गई थी जो यह संकेत देते हैं कि हिंदू यहां पूजा करते रहे हैं।
- 17 साक्ष्यों से पता चलता है कि मुसलमान मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते थे, जो यह संकेत देता है कि उन्होंने यहा कब्जा नहीं खोया है।
- हिंदू इस स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं, यहां तक की मुसलमान भी विवादित स्थल के बारे में यही कहते हैं।
- न्यायालय ने विवादित स्थल पर पुरातात्विक साक्ष्यों को महत्व दिया।
- हिंदुओं की यह अविवादित मान्यता है कि भगवान राम का जन्म गिराई गई संरचना में ही हुआ था।
- एएसआई यह नहीं बता पाया कि क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।
- एएसआई ने इस तथ्य को स्थापित किया कि गिराए गए ढांचे के नीचे मंदिर था।
- 11 बुनियादी संरचना इस्लामिक ढांचा नहीं थी।
- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी।
- न्यायालय ने कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को महत राय बताना एएसआई की प्रति बहुत अन्याय होगा।
- न्यायालय ने कहा कि राज जन्मभूमि एक न्याय सम्मत व्यक्ति नहीं हैं।
- न्यायालय ने कहा कि निमोर्ही अखाड़े की याचिका कानूनी समय सीमा के दायरे में नहीं, न ही वह रखरखाव या राम लला के उपासक।
- न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित भूमि सरकारी है।

अयोध्या फैसले के बाद बोले पीएम– दुनिया ने आज भारत के सद्भाव को देखा

नई दिल्ली। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी, नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी। उन्होंने कहा कि अब समाज के नाते, हर भारतीय को अपने कर्तव्य, अपने दायित्व को प्राथमिकता देते हुए काम करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बीच का सौहार्द, हमारी एकता, हमारी शांति, देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए भारत में भय, कटुता, नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही, 9 नवंबर की ये तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे ही है। आज के दिन का संदेश जोड़ने का है–जुड़ने का है और मिलकर जीने का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। और इसलिए, देश के न्यायधीश, न्यायालय और हमारी न्यायिक प्रणाली अभिनंदन के अधिकारी हैं। पीएम ने कहा कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना और सर्वसम्मति से फैसला दिया। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग ने, हर समुदाय ने, हर पंथ के लोगों ने पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, वो भारत की पुरातन संस्कृति, परंपराओं और सद्भाव की भावना को प्रतिबिंबित करता है।

फैसले के चार प्रमुख आधार

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट से साफ है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। खुदाई में मस्जिद के नीचे विशाल संरचनाएं मिलीं हैं, उनमें जो कलाकृतियां पाई गईं उससे पता चलता है कि वह इस्लामिक ढांचा नही था।

2. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि विवादित स्थल पर 1934 से 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी। हालांकि, संविधान पीठ ने उनके इस दावे को नहीं माना।

वहीं, हिंदू पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि बाहरी चबूतरे पर लगातार हिंदुओं का कब्जा था और वे वहां पूजा किया करते थे।

3. अयोध्या में राम के जन्मस्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम जन्म स्थान मनाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण से चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी हिंदू पक्ष के दावे की पुष्टि होती है। ऐतिहासिक ग्रंथ में स्कंद पुराण, पद्म पुराण का जिक्र किया गया था।

4. शिया बनाम सुन्नी केस में शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज करते हुए अदालतने कहा कि मस्जिद कब बनी, इससे फर्क नहीं पड़ता। 22 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद में मूर्ति रखी गई।

एक व्यक्ति की आस्था दूसरे का अधिकार न छीने। नमाज पढ़ने की जगह को हम मस्जिद मानने से मना नहीं कर सकते। जज ने कहा कि जगह सरकारी जमीन है।

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

CATEGORY OF WORKERS	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING: U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES: ZONE-I	GUJRAT MINIMUM WAGES: ZONE-II	PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
				MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/10/19 TO 31/03/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	01/08/19 TO 31/01/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		3/1/2018	1/1/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA		BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8278.94	9676.05	10144.24	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8451.95	8827.40	8331.00
SEMISKILLED	9106.83	10625.44	11158.67	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9231.95	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9268.75	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9732.18	*
SKILLED	10201.09	11795.93	12173.09	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10128.95	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10218.79	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10729.74	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11160.95	11266.23	*

सार्वजनिक पदों पर अवैध नियुक्तियां वेतन पेंशन या अन्य मौद्रिक लाभ की हकदार नही सुप्रीम कोर्ट का फैसला

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति अवैध पाई जाती है तो ऐसी नियुक्तियां वेतन के वैधानिक अधिकार, पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों की हकदार नहीं होतीं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जिसमें कर्मचारियों ने कहा था कि वे कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ 25 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और इसलिए, मानवीय दृष्टिकोण से उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को नजर अंदाज करके उन्हें सेवा में नियमित करना चाहिए ताकि उन्हें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार बनाया जा सके। मामला बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गई अवैध नियुक्ति से संबंधित है।

पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने बिहार राज्य बनाम देवेंद्र शर्मा के मामले में कहा कि ष्वेतन का अधिकार कानूनी रूप से उस पद को वैध रूप से रखने का अधिकार देता है जिसके लिए वेतन का दावा किया जाता है। यह इस तरह के पद के लिए एक वैध नियुक्ति का सही परिणाम है, इसलिए, जहां बहुत मूल न के बराबर है, वहां वेतन के दावे के रूप में कोई शाखा नहीं हो सकती है। सार्वजनिक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सेवा लाभों के अधिकार पूरी तरह से वैधानिक हैं। इसलिए, ये अधिकार, जिनमें वेतन का अधिकार भी है, एक वैध और कानूनी पद पर नियुक्ति के लिए हैं।

एक बार यह पता चल जाए कि नियुक्ति अवैध है और कानून की नजर में ठहरने योग्य नहीं है, तो ऐसी नियुक्ति के वेतन के लिए कोई वैधानिक अधिकार या पेंशन के अधिकार और अन्य मौद्रिक लाभ उत्पन्न नहीं हो सकते। न्यायालय ने यह भी कहा कि तात्कालिक मामले में, बिना किसी स्वीकृत पद, बिना किसी विज्ञापन दिए सभी योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने और सार्वजनिक रोजगार की तलाश करने और भर्ती के अवसर दिए बिना पर नियुक्तियां की गईं। इस तरह की नियुक्तियों में पिछले दरवाजे से प्रवेश, भाई–भतीजावाद और पक्षपात का कार्य किया गया था और इस तरह किसी भी न्यायिक मानकों से इसे अनियमित नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये नियुक्तियां पूरी तरह से मनमानी प्रक्रिया और अवैध नियुक्तियां हैं।

सिद्धू बोले- करतारपुर में मेरे दोस्त इमरान के योगदान को कोई नकार नहीं सकता

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं. उनका ये दौरा फिर विवादों में है. श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद ये पहली बार हुआ है जब सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे दोस्त इमरान खान के योगदान को कोई नकार नहीं सकता. मैं पीएम मोदी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं. मुख्य अतिथि के तौर पर करतापुर साहिब पहुंचे सिद्धू ने कहा कि मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं. यह मायने नहीं रखता है कि राजनीतिक रूप से अलग रुख रखते हैं, यह भी मायने नहीं रखता है कि मैं गांधी परिवार के प्रति प्रतिबद्ध हूं. मैं मुन्ना भाई डठठे स्टाइल में मोदी साहेब को प्यार भेजता हूं. इससे पहले, भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की भावनाओं का आदर करने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को धन्यवाद दिया. पीएम मोदी ने कहा कि गुरु नानक देव की 550वीं जयंती से पहले करतारपुर साहिब कॉरिडोर के खुलने से दो. हरी खुशी हुई है. प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन से पहले अपने संबोधन में कहा कि अब गुरुद्वारा दरबार साहिब की यात्रा करना आसान होगा. यह पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से पाकिस्तान की सीमा में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को जोड़ता है. पीएम मोदी ने कॉरिडोर के निर्माण से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002

The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

9818036460

legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2019
P.

घर बैठे पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये है ऑनलाइन तरीका

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के लिए जो पोर्टल लॉन्च कर रखा है उसके जरिए आप कई तरह के काम ऑनलाइन कर सकते हैं. हालांकि अभी भी कई लोगों को इस पोर्टल के बारे में जानकारी नहीं है और लोग दफ्तरों के चक्कर लगाकर अपने पीएफ खाते से जुड़ा काम करा सकते हैं. अगर आप पीएफ खाते से घर बैठे पैसा निकालना चाहते हैं या पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल से ऐसा कर सकते हैं. यहां हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन तरीके से पीएफ खाते का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।

यहां जानें पीएफ का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने का तरीका

1. इसके लिए सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ पोर्टल यानी इसकी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और इसपर अपना यूएएन और नंबर और पासवर्ड डालना होगा.

2. इसके बाद होम पेज के लेफ्ट में दिए गए मेन मेन्यू के सेक्शन में जाना होगा और इसके बाद ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इस ऑप्शन में जाकर आपको ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा.

3. ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद जो पेज आपके सामने खुलेगा उसमें आपकी तमाम जानकारियां जैसे डेट ऑफ बर्थ, ज्वॉइन करने की डेट और पीएफ नंबर, यूएन नंबर सामने आएंगी जिन्हें आपको चेक करना होगा. आपको बेहद अच्छी तरह इनकी जांच करनी होगी वर्ना आप जो पैसा दूसरी जगह भेजना चाहते हैं वो नहीं भेज पाएंगे.

4. ऐसा करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें प्रीवियस एंप्लॉयर और प्रेजेंट एंप्लॉयर का ऑप्शन आएगा और उसमें से किसी एक का आपको चयन करना होगा. अगर प्रीवियस एंप्लॉयर को चुना है तो उससे जुड़ी जानकारी देनी होगी और अगर प्रेजेंट एंप्लॉयर का ऑप्शन चुना है तो इससे जुड़ी जानकारी आपको देनी होगी.

5. आपके सारी डिटेल्स भरने के बाद इसे ऑनलाइन सबमिट करें और इसके बाद मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. ओटीपी को ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करें और इसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी. इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा और इसे आपने जो ऑप्शन चुना है उसके मुता. बिक प्रीवियस एंप्लॉयर या प्रेजेंट एंप्लॉयर को भेजना होगा.

6. आपकी जानकारी के लिए बता दें तो कि प्रीवियस एंप्लॉयर और प्रेजेंट एंप्लॉयर को इस बारे में नोटिफिकेशन मिलता है कि किस एंप्लाई ने पीएफ पैसे के ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दी है. इसकी जांच ऑनलाइन ही की जाती है और आपका पहले का एंप्लॉयर या मौजूदा एंप्लॉयर इसे ऑनलाइन मोड से ही ईपीएफओ ऑफिस को भेज देता है. इसके बाद जैसे ही ईपीएफओ ऑफिस से इसको क्लियर कर दिया जाता है आपका पैसा ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर हो जाता है.

पीएफ के सहायक आयुक्त की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

कोलकाता। रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भविष्य निधि (पीएफ) के सहायक आयुक्त की करीब तीन करोड़ की चल–अचल संपत्ति को जब्त किया है। आय के स्रोतों के बाबत ईडी शीघ्र ही उनसे पूछताछ भी करेगी।

सूत्रों के अनुसार, कोलकाता स्थित पार्क स्ट्रीट के पीएफ कार्यालय में तैनाती के दौरान सहायक आयुक्त रमेश सिंह पर विभिन्न माध्यमों से 6–7 करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप लगा था। जांच में जुटे ईडी अधिकारियों को उनके घर की तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे।

इसकी जांच के बाद मंगलवार को ईडी ने सहायक आयुक्त के मकान, गाड़ी सहित करीब तीन करोड़ की चल–अचल संपत्ति जब्त कर ली।

ईडी सूत्रों के अनुसार, रुपये लेने के बदले सहायक आयुक्त ने कई गैर कानूनी कार्य किए थे। गलत तरीके से कमाए गए करोड़ों की रकम से उन्होंने कोलकाता में संपत्तियां खरीद ली थीं।

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के पास निविदा सूचना के नियम-शर्तों को शिथिल करने की शक्ति नहीं सुप्रीम कोर्ट

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में किसी उच्च न्यायालय के पास निविदा सूचना के नियमों और शर्तों को शिथिल करने की शक्ति नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण तरल पेट्रोलियम गैस वितरक योजना के तहत लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस की डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज करने के खिलाफ दी गई चुनौती को खारिज किया गया था, न्यायमूर्ति इंदि. रा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा, इस तरह की छूट विवेकपूर्ण रूप से भेदभावपूर्ण होगी, क्योंकि इसके बाद अन्य आवेदकों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा ताकि वे बाद में पात्रता हासिल कर सकें। आवेदक के पास पर्याप्त भूखंड होना चाहिए। इस मामले में निविदा सूचना के संबंधित खंड में कहा गया था कि विज्ञापित पेट्रोलियम गैस वितरक योजना आवेदक के पास 5000 किलोग्राम एलपीजी के भंडारण के लिए गोदाम के निर्माण के लिए या 5000 किलोग्राम क्षमता वाले तैयार एलपीजी सिलेंडर के भंडारण के लिए पर्याप्त आकार का भूखंड होना चाहिए। अदालत ने उल्लेख किया कि उक्त विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के अनुसार, उसके पास आवश्यकतानुसार जमीन नहीं थी बल्कि उसके पक्ष में बिक्री के लिए केवल एक समझौता था। इस संबंध में पीठ ने कहा, यह अच्छी तरह से तय है कि बिक्री समझौते का निष्पादन स्वामित्व/टाइटल को स्थानांतरित नहीं करता है। स्वामित्व केवल पंजीकृत विलेख द्वारा हासिल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार योग्य नहीं था।

उच्च न्यायालय के आदेश को बरक. रार रखते हुए पीठ ने कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय किसी निविदा सूचना के नियम और शर्तों को शिथिल नहीं कर सकता और उसने सही किया।इस तरह की छूट देना विवेकपूर्ण भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि इसके बाद आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि पर अयोग्य अन्य आवेदकों के लिए खुला होगा कि वो बाद में पात्रता हासिल कर सकते थे।

पृष्ठ एक का शेष

देश का सबसे बड़ा फैसला अयोध्या में राम मन्दिर

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी उचित जगह मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जगह दी जाए. इस तरह 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है, जिसमें दशकों पुराने विवाद का खात्मा हो गया है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था. 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन का बंटवारा कर दिया गया था. कोर्ट ने यह जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच जमीन बराबर बांटने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसपर लंबी सुनवाई के बाद शनिवार (9 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और विवादित जमीन रामलला को देने का आदेश दिया।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
Editorial
04
P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2019

सम्पादकीय

सुविचारित फैसला

सत्येन्द्र सिंह

अयोध्या विवादित भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वाभाविक ही चौतरफा स्वागत हो रहा है। लंबे समय से इस मामले को लेकर उलझन बनी हुई थी। इसे लेकर विभिन्न पक्षों की सियासत भी शामिल हो गई थी। दरअसल, अयोध्या के रामजन्मभूमि स्थल पर तीन पक्षों ने अपने स्वामित्व का दावा किया था। रामलला विराजमान पक्ष इस पर मंदिर बनाने की मांग कर रहा था तो निमोंही अखाड़े का दावा था कि संबंधित जमीन पर उसका स्वामित्व है। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि विवादित स्थल पर चूंकि मस्जिद थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उस पर उसका मालिकाना हक है। इस तरह इस मामले पर फैजाबाद की अदालत से होते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय और फिर विशेष अदालत में कई दशक सुनवाई चलती रही। कई बार इस पर आपसी बातचीत के जरिए निपटारे की पहल भी हो चुकी थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित भूमि को तीनों पक्षों में बराबर–बराबर बांटने का आदेश दे दिया था। पर उसे चुनौती दे दी गई थी। फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले की गुहार लगाई गई तो उसने चालीस दिन तक लगातार विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने और संबंधित साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह फैसला दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से एक तरह से इस विवाद का सर्वमान्य निपटारा हो गया है। हालांकि इस फैसले पर किसी को एतराज है, तो उसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प खुला है, पर इसके लिए उसे ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे। मगर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब शायद ही किसी के पास कोई ऐसा सबूत बचा हो, जो इस सुनवाई के दौरान पांच न्यायाधीशों की पीठ से अनदेखा रह गया हो। गौरतलब है कि पांच जजों की पीठ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था, जिसने किसी पक्ष पर एतराज जताया हो। सभी ने सर्वसम्मति से इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में बहुत सुविचारित ढंग से फैसला सुनाया गया। किसी पक्ष के किसी दावे को नजरअंदाज नहीं किया गया। निमोंही अखाड़े के दावे को न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने अपना दावा काफी देर से पेश किया। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी दावा देर से पेश किया था, पर सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर गंभीरता से विचार किया। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग और अन्य तमाम साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि रामजन्मभूमि पर पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन अलग देने का निर्णय दिया।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दरअसल, जनआस्था से जुड़ा मामला है। शुरू से बहुमत मंदिर के पक्ष में रहा है। मगर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना दिया था, जिसके चलते यह और उलझता चला गया था। जबकि हकीकत यह भी है कि मुसलिम समुदाय के बहुत सारे लोग इस बात से सहमत थे कि विवादित भूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले का मुसलिम समुदाय ने भी स्वागत किया है। इस फैसले पर सद्भाव और सौहार्द का जैसा परिचय मिला है, वह निस्संदेह सराहनीय है।

शहरों का घुटता दम

राजधानी दिल्ली की हवा में घुले जहर ने एक बार फिर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानियों की हवा में जहर की बात आमतौर पर मुहावरे में की जाती है, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों, शहरों में रहने वाले लोग सचमुच दमघोंटू हवा में सांस लेने को विवश हैं। सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहे वाहनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के इलाके के खेतों में जलाई जाने वाली पराली के धुएं ने सांस लेना दूभर कर दिया है। रही–सही कसर दीपावली पर हुई आतिशबाजी के धूम–धड़ाके ने पूरी कर दी। दिल्ली ही क्या, देश के अधिकांश शहरों की हवा में प्रदूषण की मात्रा दीवाली के दिनों में खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है।

उदाहरण के लिए राजस्थान के कोटा शहर को लिया जा सकता है। हर साल करीब दो लाख बच्चे देश के शीर्षस्थ इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की परीक्षा के लिए कोचिंग लेने के लिए कोटा आते हैं और इन छात्रों की आमद ने कोटा को आर्थिक समृद्धि के नवसोपान सौंपे हैं। यों भी बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और जिस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में बच्चे रहते हों, उस इलाके के पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामान्य जन को भी अतिरिक्त रूप से संवे. दनशील होना चाहिए। शहर के एक अस्थमा विशेषज्ञ ने दीवाली की रात कोटा की हवा में प्रदूषण की पड़ताल की तो पाया कि वहां की हवा में जहरीले कणों की मात्रा मानक स्तर से सात गुना अधिक है।

पिछले कुछ सालों में हम अपने स्वभाव से ही नहीं, अपने व्यवहार से भी हवा में जहर घोलने के आदी हो चुके हैं। वायु प्रदूषण की भयावहता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्ल्यूटीओ) वायु प्रदूषण को 'पब्लिक हेल्थ इमरजंसी' अर्थात जन स्वास्थ्य के लिए आपातकाल कहता है। डब्ल्यूटीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल दुनिया में करीब सात करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बर्मिंघम विश्विद्यालय ने अपनी एक शोध के दौरान दुनिया में निमोनिया के कारण होने वाली मौतों और वायु प्रदूषण के मध्य सीधा संबंध पाया।

लंदन के किंग्स कॉलेज के एक अध्ययन में पाया गया कि वायु प्रदूषण युवाओं में कई मनो. विकृतियों को जन्म देता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि वायु प्रदूषण शरीर के हर अंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जहरीली हवाओं का असर फेफड़ों में समा कर समस्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण के कारण व्यक्ति में तनाव पैदा करने वाले हार्मोनों का स्तर बढ़ जाता है और वह अवसाद का शिकार हो सकता है। बुजुर्गों में समझने की क्षमता में गिरावट संबंधी डिमेंशिया रोग हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भपात जैसी समस्याओं का सामना करना होता है, गर्भस्थ शिशु का जन्म समय से पूर्व ही हो जाता है– जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है।

ब्रोंकाइटिस, अनिद्रा, यकृत के कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग जैसे कितने ही रोग वायु प्रदूषण के कारण बढ़ रहे हैं। चीन में किए गए एक अध्ययन में तो यह भी पाया गया कि वायु प्रदूषण बच्चों को गणित और भाषा जैसे विषय सीखने पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वस्तुतः वायु प्रदूषण अपनी चपेट में आने वाले व्यक्ति के जीवन से इस तरह खिलवाड़ करता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। शायद यही कारण है कि हमारे पुरखों ने अपने पर्यावरण के संरक्षण को एक जरूरी मुद्दा माना और वेदों ने लगातार प्रतीकों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया।

ऋग्वेद में एक स्थान पर 'पृथ्वीरू पूरू च उर्वी भव' कह कर आह्वान किया गया है कि समस्त पृथ्वी और संपूर्ण परिवेश शुद्ध रहे, तभी जीवन का समग्र विकास हो सकेगा। अथर्ववेद में वायु को प्राण कहा गया है। वेदों के अनुसार वायु पिता के समान पालक, बंधु के समान धारक, पोषक और मित्रवत सुख देने वाली है। कहा तो यह भी गया है कि वायु अमरत्व की निधि है, क्योंकि वह हमें जीवन देती है। लेकिन बदलती हुई जीवन शैली ने हमारी पारंपरिक मान्यताओं से खिलवाड़ किया और मानो प्रदूषण ही हमारे लिए तरक्की का पर्याय बन गया। इस वर्ष भी जब कुछ संवेदनशील लोगों ने वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए दीवाली के पूर्व पटाखों के संयमित उपयोग की बात की, तो कतिपय लोग तरह–तरह के कुतर्क से आतिशबाजी के समर्थन में उतर आए। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना था कि दीवाली पर जो आतिशबा. जी प्रारंभ से हो रही है, उसके खिलाफ बोलना वस्तुतरू एक सुनियोजित साजिश है।

ऐसा कुतर्क देने वाले इस ऐतिहासिक तथ्य को भी बिसरा बैठे कि जिन रामचंद्र की अयोध्या वापसी का संदर्भ दीपावली से जोड़ा जाता है, उनका समय ईसा से करीब साढ़े पांच हजार साल पहले का आंका गया है, जबकि आतिशबाजी की शुरुआत तो सदियों बाद हुई। कुछ लोगों ने इस बार यह भी तर्क दिया कि पटाखे से होने वाले धुएं से वातावरण में मौजूद मच्छर मरते हैं, इसलिए पटाखे तो जी भर कर चलाए जाने चाहिए। ऐसा कहने वाले भूल गए कि वातावरण को जहरीला कर देने से केवल मच्छरों पर ही प्रभाव नहीं पढ़ता,

पीढ़ियां भी प्रतिकूलताओं का सामना करती हैं। हवा में घुलने वाला जहर उस जहरीले धुएं का परिणाम होता है, जो धुआं वाहनों से– कारखानों से और पटाखों से उत्सर्जित होता है। इस धुएं में शामिल कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन डाईआक्साइड जैसी गैसें और सीसे के कण वातावरण को जहरीला कर देते हैं। ये जहर बच्चों और बुजुर्गों पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। सर्दी के दिनों में वातावरण की आर्द्रता के कारण जहरीले कण जमीन से कुछ ऊपर ही एक ऐसा आवरण बना लेते हैं कि हवा बहुत बोझिल हो जाती है। दीवाली के दिनों में चूंकि आतिशबाजी के कारण हवा में नुकसानदायक कहे जाने वाले कणों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और वही समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी होती है।

आज से साढ़े तीन–चार दशक पहले तक स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। तब सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या काफी कम थी। हवा में मौजूद जहर को सोखने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेड़ भी थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में स्थितियां बहुत तेजी से बदलीं। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार हो गई और विकास की अंधी दौड़ में पेड़ों को अंधाधुंध काटकर हमने उस सहारे को खुद से ही छीन लिया जो न केवल हमें तेज धूप में छाया दिया करता था बल्कि पर्यावरण संरक्षण की आश्वस्ति भी देता था।

अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में भारत में पर्यावरण के बुरे प्रभावों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वालों की औसत उम्र में वायु प्रदूषण के कारण साढ़े तीन से लेकर सात वर्ष तक की कमी हो रही है। स्थिति यह है कि 1998 से 2016 के बीच इस इलाके में प्रदूषण सत्तर फीसद से भी अधिक बढ़ गया है, जबकि देश की चालीस फीसद आबादी भी इसी इलाके में रहती है। ऐसे में आने वाले समय में वायु प्रदूषण के कारण पनपने वाली बीमारियों से ग्रसित लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु प्रदूषण को 'पब्लिक हेल्थ इमरजंसी' यों ही नहीं कहता।

इन मंदिरों के दर्शन किए बिना अधूरी है वाराणसी की यात्रा

वाराणसी हिन्दू धार्मिक परंपरा का केन्द्र है। मार्क ट्वेन ने इस शहर की विशेषता बताते हुए लिखा है. वाराणसी इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किवदंती से भी पुराना है, और जितना दिखता है उतना पुराना है। यहां पर कई बेहतरीन मंदिर हैं, जो न सिर्फ आस्था बल्कि आकर्षण का भी केन्द्र है। वाराणसी को मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम आपको वाराणसी के कुछ बेहतरीन मंदिरों के बारे में बता रहे हैं।

विश्वनाथ मंदिर– वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने और सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसलिए शिव पूजा का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर हर दिन भारी संख्या पर भक्त आते हैं और विशेष अवसर पर भक्तों की संख्या हजारों से लाखों तक पहुंच जाती है।

अन्नपूर्णा मंदिर– अन्नपूर्णा देवी मंदिर विश्वनाथ मंदिर के काफी समीप स्थित है। इस मंदिर में देवी पार्वती को भोजन और पोषण के दाता के रूप में पूजा जाता है। भक्त यहां पर स्वतंत्र रूप से दान करते हैं। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 1700 के दशक में पेशवा बाजी राव ने करवाया था।

काल भैरव मंदिर– काल भैरव मंदिर भी वाराणसी के सबसे पुराने मंदि. रों की सूची में से एक है। माना जाता है कि काल भैरव शहर के संरक्षक हैं और संकट में पड़े भक्तों के रक्षक हैं।

भारत माता मंदिर– यह भारत माता को समर्पित एक अनूठा मंदिर है। मातृभूमि को समर्पित यह मंदिर स्वयं में बेहद अनोखा है। इस मंदिर का निर्माण 1936 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किया गया था। गांधीजी ने खुद मंदिर का उद्घाटन किया था।

तुलसी मानस मंदिर– वाराणसी में बिरला तुलसी मानस मंदिर एक बेहद प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह 1964 में बनाया गया था और यह भगवान राम को समर्पित है। तुलसीदास का प्रसिद्ध रामचरितमानस मंदिर की दीवारों पर अंकित है। इस मंदिर में जुलाई/अगस्त के महीनों में कठपुतलियों का एक विशेष खेल प्रदर्शन होता है, जिसका संबंध रामायण से होता है। इस खेल को देखने का एक अलग ही अनुभव है।

त्रिदेव मंदिर– ऐसा बहुत कम होता है कि हम त्रिदेवों के तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर निर्मित हो। वाराणसी का त्रिदेव मंदिर इस संदर्भ में अद्वितीय है और प्रत्येक दिन सैकड़ों भक्त यहां पर त्रिदेव के दर्शन करने आते हैं।

विशालाक्षी मंदिर– काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर काशी विशालाक्षी मंदिर है। यह पवित्र 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहां शिव की पत्नी सती का आंख गिरा था।

मृत्युंजय महादेव मंदिर– शिव को कई रूपों में पूजा जाता हैय इनमें से एक मृत्युंजय का है, अर्थात् जो मृत्यु पर स्वयं विजय प्राप्त करता है। मृत्युंजय के रूप में शिव को समर्पित इस मंदिर में भक्तों द्वारा बड़ी संख्या में आते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं।

सारनाथ– सारनाथ देश के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यह वाराणसी शहर से केवल 13 किलोमीटर की दूरी पर है और सारनाथ का स्तूप इसका सबसे बड़ा आकर्षण है।

नेपाली मंदिर– ललित घाट में स्थित नेपाली मंदिर को मिनी खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1800 के दशक में नेपाल के राजा, राणा बहादुर शाह द्वारा किया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से डीएम अजय शंकर पांडेय गंभीर

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के कार्य में प्रगति लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय गंभीर एन एच आई एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट के सभागार में की बैठक तत्पश्चात डासना से लेकर पैकेज फॉर पर चल रहे कार्य का स्थल निरीक्षण करते हुए लिया जायजा, अधिकारियों को दिए प्रगति बढ़ाने के कड़े निर्देश। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा आज सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कार्य में तत्काल प्रभाव से गतिशीलता लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में कलेक्ट्रेट के सभागार में अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति एवं एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गयी। तत्पश्चात जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से डासना से लेकर रजापुर तक चल रहे कार्यों का गहन स्थल निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी स्तर पर देरी को बहुत ही गंभीरता के साथ लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक करते हुए अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति एवं एन एच आई के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि तैयार किए जा रहे एक्सप्रेसवे के संबंध में जो भूमि से संबंधित किसानों की समस्याएं एवं अन्य प्रकरण लंबित हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जाए। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के द्वारा इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का डासना से लेकर रजापुर तक गहन स्थल निरीक्षण किया गया। डीएम ने अपने निरीक्षण के दौरान प्रशासन एवं एनएचआई के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि इस कार्य को

तेजी के साथ संचालित किया जाए कार्य करने में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनके संबंध में जिला प्रशासन एवं एनएचआई के वरिष्ठ अधिकारी गण आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए उनका तत्काल निस्तारण संभव कराएं और कार्य में निरंतर रूप से तेजी लाई जाए। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति को निर्देश देते हुए कहा कि एक्सप्रेस वे के कार्य में यदि कहीं पर किसी के द्वारा बिना कारण के दौरान व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है उसमें पुलिस फोर्स की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए कार्य को आगे बढ़ाया जाए।

उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान जिला प्रशासन एवं एनएचएआई के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सरकार का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। अतः अधिकारियों के द्वारा किसानों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करते हुए हाईवे के कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बैठक एवं भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी के साथ में अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति मदन गर्बयाल, एनएचआई के पीडी आरपी सिंह, मैनेजर अरविंद कुमार, डीपीएम मनोज बैरवा तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों को मिलेगी ये खास रियायत

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) दिव्यांग को भूतल तल (ग्राउंड फ्लोर) पर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन करेगा। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। प्रथम चरण के मधुबन बापूधाम में बनने वाले 856 आवास पर भी यह योजना लागू होगी। शासन ने जीडीए को तीन चरण में 36 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य दिया है। इसके प्रथम चरण में करीब साढ़े 13 हजार मकान बनाने हैं। जबकि दूसरे चरण में 18 हजार मकान तैयार करने होंगे। इन मकानों को तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 तक प्राधिकरण को 31,500 मकानों की डीपीआर स्वीकृत करानी है। इसमें से जीडीए ने 18,697 मकान की डीपीआर स्वीकृत करा ली है। जबकि जीडीए ने 19,360 मकान की

डीपीआर स्वीकृत कराने के लिए भेजी थी। वहीं, प्राधिकरण मधुबन बापूधाम में 856 मकान का निर्माण करा रहा है। इसके अलावा तीन स्थानों पर 2271 मकान और बनवाए जाएंगे। जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि इन सभी मकानों में दिव्यांगों के लिए भूतल पर मकान का आवंटन किया जाएगा। बता दें कि 22 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में दो कमरों के एक मकान में रसोई, शौचालय, बाथरूम और एक बालकनी का भी प्रावधान है।

विद्यार्थियों को आपदा से बचने का दिया प्रशिक्षण

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

गाजियाबाद। राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को सेनानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आठवीं वाहिनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की नौ सदस्यीय टीम ने विद्यार्थियों को मानवीय व प्राकृतिक आपदाओं से बचाव से संबंधित तकनीकी के बारे में प्रशिक्षण दिया। इसमें मेडिकल फस्ट, रिस्पोंडर ब्लीडिग कंट्रोल, सीपीआर, एफबीईओ, भूकंप बाढ़ व आग से बचने के लिए प्रदर्शन द्वारा जानकारी दी गई। जिसका संचालन निरीक्षक राज. श कुमार के द्वारा किया गया। एनएसएस व एनसीसी, रेडक्रास रेड रिबन, युवा भूगोल संघ के 110 विद्यार्थियों और 10 प्राध्यापकों के द्वारा इनकी देखरेख में अभ्यास किया गया। प्राचार्या शीला दहिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आपदा प्रबंधन कमेटी की इंचार्ज डॉ. तनाशा हुड्डा ने कहा कि महाविद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन प्लान बनी हुई है। इस अवसर पर एनसीसी इंजार्च पंकज बत्तरा व सुरक्षा, एनएसएस इंचार्ज अंजना धवन, रामनिवास, पूनम चहल उपस्थित रहे।

इंदिरापुरम एक्सटेंशन के लिए सैटेलाइट सर्वे शुरू

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

गाजियाबाद। जीडीए ने इंदिरापुरम एक्सटेंशन के लिए अधिग्रहित 70 एकड़ जमीन के टोटल स्टेशन सर्वे के बाद दिसंबर में योजना का ले–आउट तैयार करेगा। जीडीए का दावा है कि नए साल में टेंडर जारी कर काम शुरू किया जाएगा। जीडीए के सीएटीपी आशीष शिवपुरी ने बताया कि जमीन का सैटेलाइट सर्वे हो रहा है। इस दौरान वहां के खंभे, नाले, सड़क, निर्माण समेत अन्य सभी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। सर्वे इसी माह पूरा हो जाएगा।

ट्रैफिक माह में नियमों की अनदेखी

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

गाजियाबाद। इन दिनों ट्रैफिक माह चल रहा है। पुलिस सोशल मीडिया से ग्राउंड एक्टिविटी के जरिये लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रही है, लेकिन इसका असर लोगों में कम ही दिख रहा है। नियम तोड़ने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एसपी ट्रैफिक एसएन सिंह ने कहा कि जिन लोगों के फोटो वाहन नंबर के साथ सामने आ रहे हैं। उनका ऑनलाइन चालान किया जा रहा है। इसके अलावा जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों की जागरूकता जानने के लिए विभिन्न स्थानों पर पड़ताल की तो बड़ी संख्या में लोग नियमों को तोड़ते मिले। सख्त नियम के बाद भी शास्त्रीनगर में युवक बिना हेलमेट के फोन पर बात करना हुआ बाइक चला रहा था। ऑटो में अब भी आगे की सीट में 4 सवारियां बैठ रही हैं।

मां-बाप का खयाल न रखा तो होगी जेल

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। बुजुर्गों के भरण–पोषण से जुड़े कानून को सरकार अब और सख्त बनाएगी। इसके तहत बुजुर्ग मां–बाप का खयाल न रखने पर छह महीने तक की जेल भी काटनी पड़ सकती है। फिलहाल मौजूदा कानून में सिर्फ तीन महीने की सजा का ही प्रावधान है। इसके साथ ही बुजुर्गों की सुरक्षा का भी पूरा खयाल रखा गया है। प्रत्येक पुलिस थाने में एएसआइ रैंक के एक पुलिस अधिकारी की तैनाती करने का भी प्रावधान किया गया है जो बुजुर्गों की समस्याओं को लेकर नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

मौजूदा समय में देश में करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। हालांकि 2050 तक देश में इनकी आबादी करीब 33 करोड़ हो जाएगी। साथ ही इनके साथ दुर्व्यवहार और उन्हें छोड़ने के मामले तेजी से देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलय ने लंबे विचार–विमर्श के बाद दस साल से ज्यादा पुराने इस कानून में बदलाव की तैयारी कर ली है। संसद के 18 नवंबर से शुरू हो

रहे शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से लाए जाने वाले प्रस्तावित बिलों में इसे शामिल किया गया है। माता–पिता और बुजुर्गों की देखरेख से जुड़ा मौजूदा कानून 2007 में तैयार किया गया था। प्रस्तावित बिल के अनुसार माता–पिता सिर्फ अपने जैविक बच्चों से ही गुजारा भत्ता लेने के हकदार नहीं होंगे, बल्कि अब वह नाती–पोते, दामाद या फिर जो संबंधी उनकी संपत्ति का अधिकारी होगा, उन सभी संबंधियों से वह गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकेंगे। सिर्फ दस हजार तक का ही गुजारा भत्ता हासिल करने की सीमा को हटा दिया गया है। अब हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता लेने के अधिकारी होंगे यानी बेटे या परिजनों की आय करोड़ों की है, तो गुजारा भत्ता भी उसी आधार पर तय होगा। नए कानून में वृद्धाश्रमों को शामिल किया गया है जिसमें उनके अनुकूल सारी सुविधाएं जुटानी जरूरी होंगी, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं को रखना अनिवार्य होगा।

कानून की खास बातें

1. जैविक बच्चों से ही नहीं, नाती–पोते, दामाद से भी गुजारा भत्ता लेने के हकदार
2. दस हजार गुजारा भता की सीमा हटाई, अब हैसियत के हिसाब से गुजारा भत्ता
3. वृद्धाश्रमों को भी अब उनके अनुकूल जुटानी जरूरी होंगी सारी सुविधाएं

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, नवंबर, 2019

आर्थिक सुस्ती का असर सरकारी खजाने पर! बढ़ सकता है राजकोषीय घाटा

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। जोखिम से बचाव समेत विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने वाली कंपनी फिच सॉल्यूशंस ने भारत के राजकोषीय घाटे को लेकर अपने अनुमान को बढ़ा दिया है. फिच सॉल्यूशंस का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2019–20 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.6 फीसदी पर रह सकता है. पहले राज. कोषीय घाटा को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया गया था. इसका मतलब यह हुआ कि फिच ने राजकोषीय घाटे का अनुमान 0.2 फीसदी बढ़ा दिया है. अगर फिच का अनुमान हकीकत में बदल जाता है तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा. बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 5 जुलाई को अपने आम बजट में राजकोषीय घाटे को 3.3 फीसदी पर नियंत्रित रखने का अनुमान लगाया था. फिच ने बताया कि सुस्त आर्थिक वृद्धि के अलावा जीएसटी कलेक्शन और कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती से राजस्व संग्रह को नुकसान होने की आशंका है. यही वजह है कि राजकोषीय घाटे के अनुमान को बढ़ाया गया है. फिच ने कहा हमारा मानना है कि राजकोषीय खर्च में कटौती नहीं करने की मंशा के बीच सुस्त आर्थिक वृद्धि और सरकार के कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती से राजस्व संग्रह कम रहेगा. इस वजह से हमने राजकोषीय घाटे के अनुमान को बढ़ाया है.

बता दें कि सरकार ने बीते 20 सितंबर को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है. इस कदम से 2019–20 के दौरान सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होने का अनुमान है. वहीं जीएसटी कलेक्ध्शन में भी कमी आई है और यह सरकार के लक्ष्य से नीचे चल रहा है.

राजस्व वृद्धि के अनुमान में भी बदलाव

इसके साथ ही फिच ने कहा हम राजस्व वृद्धि के अपने अनुमान को भी संशोधित करके 13.1 फीसदी से 8.3 फीसदी कर रहे हैं. यह सरकार के 13.2 फीसदी वृद्धि के बजट अनुमान से काफी कम है।

केंद्र ने कर्मचारियों के लिए तोहफा नीति में दी छूट, राशि सीमा बढ़ाई

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए तोहफा नीति में छूट की घोषणा की है। उसने तोहफा स्वीकार किए जाने की राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने हाल में संशोधित नियमों का हवाला देते हुए बताया कि समूह 'अ' और 'ब' के अधिकारी बिना सरकार की मंजूरी के 5,000 रुपये से अधिक का तोहफा स्वीकार नहीं करेंगे। पहले इन अधिकारियों के लिए तोहफा स्वीकार करने की अधिकतम सीमा 1,500 रुपये थी। इसी तरह समूह 'स' के कर्मचारी सरकार की मंजूरी लिए बिना अब 2,000 रुपये तक के उपहार स्वीकार कर सकते हैं। पहले यह सीमा 500 रुपये थी।

समूह 'अ' में वरिष्ठ अधिकारी, जबकि समूह 'ब' में राजपत्रित व अरा. जपत्रित अधिकारी आते हैं। समूह ह्यसह्ण में ज्यादातर क्लर्क व बहुद्देश्यीय कर्मचारी आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि उपहार स्वीकार करने की सीमा में यह संशोधन

तीन अखिल भारतीय सेवाओं–भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा में एकरूपता की दृष्टि से किया गया है।

उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिंग, लॉजिंग व अन्य लाभ शामिल हैं। ये करीबी रिश्तेदार या निजी दोस्त के अलावा किसी अन्य की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक आतिथ्य उपहार की श्रेणी में नहीं आएंगे। सरकार ने विदेशी अतिथियों से उपहार स्वीकार करने व रखने की 1000 रुपये की सीमा को भी खत्म कर दिया है।

नए नक्शे को लेकर नेपाल ने किया विरोध, भारत ने किया आगाह

नई दिल्ली। भारत के नए नक्शे को लेकर आई नेपाल की आपत्ति को भारत ने खारिज कर दिया है. भारतीय नक्शे में श्कालापानीश क्षेत्र को दिखाने को लेकर नेपाल के विरोध पर भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी किया. विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि भारत के नए राजनीतिक नक्शे में नेपाल के साथ सीमा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. बयान में कहा गया, हमारा नक्शा देश के संप्रभु इलाके को दिखाता है. इस नए मानचित्र में किसी भी तरह से नेपाल के साथ सीमा में कोई संशोधन नहीं किया गया है. नेपाल के साथ मौजूदा व्यवस्था के तहत ही सीमा निर्धारण दिखाया गया है. दरअसल, नेपाल ने भारत के मानचित्र में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कालापानी क्षेत्र को दिखाने को लेकर विरोध जाहिर किया था. नेपाल भी इस क्षेत्र को अपने दारचूला जिले के अंतर्गत दिखाता है.

महज 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी देने की तैयारी, लाखों लोगों को होगा फायदा!

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। मोदी सरकार जल्द ही नौकरीपेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को सरकार के इस कदम से बड़ा फायदा होगा. खबर है कि सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेच्युटी के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है. दरअसल फिलहाल ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए एक कंपनी में कम से कम लगातार 5 साल तक काम करना पड़ता है. लेकिन सरकार इसमें बदलाव कर आम नौकरीपेशा लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है.

फिलहाल 5 साल की नौकरी पर मिलती है ग्रेच्युटी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ग्रेच्युटी के लिए 5 साल के टाइम को घटाकर महज एक साल करना चाहती है. खबर है कि सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े बिल पेश कर सकती है. बता दें, इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो एक साल के बाद नौकरी बदल देते हैं. नए नियम के बाद एक साल के बाद नौकरी बदलने पर उन्हें ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी.

प्राइवेट कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बता दें, मौजूदा समय में ग्रेच्युटी की समय सीमा 5 साल है. ग्रेच्युटी कर्मचारियों को मिलने वाली एक प्रकार की रकम है, जो कर्मचारियों को एक्स्ट्रा लाभ देता है.

क्या होती है ग्रेच्युटी?

ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने

कर्मचारियों को दी जाती है. यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले देकर उसका साभार जताया जाता है. इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होती है. वर्तमान में ग्रेच्युटी कर्मचारी को तभी मिलती है जब वो एक कंपनी में पांच साल तक काम करता है. हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है. इंप्लॉयर के लिए इंप्लॉई के नौकरी छोड़ने, रिटायर होने, मृत्यु या उसके अक्षम होने पर 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है. अगर तय अवधि के अंदर ऐसा नहीं होता है तो बाद में इंप्लॉयर को सरकार द्वारा तय ब्याज के साथ ग्रेच्युटी अमाउंट का भुगतान करना होगा.

ऐसे तय होती है ग्रेच्युटी

आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, ये दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है. पहला, आपने कंपनी में कितनी सालों तक सेवा की. दूसरा, आपकी लास्ट सैलरी के आधार पर. इसमें सेवा के हर साल की आखिरी सैलरी के 15 दिनों के हिसाब से कैल्कुलेशन किया जाता है. सैलरी में आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंस भी शामिल होता है. इंप्लॉयर के लिए इंप्लॉई के नौकरी छोड़ने, रिटायर होने, मृत्यु या उसके अक्षम होने पर 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी दिए जाने का प्रावधान है. अगर तय अवधि के अंदर ऐसा नहीं होता है तो बाद में इंप्लॉयर को सरकार द्वारा तय ब्याज के साथ ग्रेच्युटी अमाउंट का भुगतान करना होगा.

ऐसे तय होती है ग्रैच्युटी

आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी, ये दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है. पहला, आपने कंपनी में कितनी सालों तक सेवा की. दूसरा, आपकी लास्ट सैलरी के आधार पर. इसमें सेवा के हर साल की आखिरी सैलरी के 15 दिनों के हिसाब से कैल्कुलेशन किया जाता है. सैलरी में आपका बेसिक और डियरनेस अलाउंस भी शामिल होता है.

ये है फॉर्मूला

ग्रेच्युटी तय करने का फॉर्मूला इस प्रकार है : 15Xलास्ट सैलरीXसेवा के साल/26

ऐसे समझें

उदाहरण के लिए राहुल एक इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी को 20 साल की सेवा दी है. उनकी लास्ट सैलरी 20 हजार रुपये थी. (15X20,000X20)X26 = 2,30,769 रुपये. ऐसे में उनकी ग्रेच्युटी की जो रकम बनेगी, वो 2 लाख 30 हजार 769 रुपये होगी.

पितृत्व जांच–गुजरात हाईकोर्ट ने 80 साल के व्यक्ति का डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने एक 80 वर्षीय व्यक्ति को डीएनए टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखा है। फैमिली कोर्ट के समक्ष एक व्यक्ति ने केस दायर कर दावा किया था कि यह 80 साल का व्यक्ति उसका जैविक पिता है। एक व्यक्ति ने एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसकी मां ने अपने पहले पति की मृत्यु के बाद प्रतिवादी से शादी कर ली थी, जिसके बाद वे समाज में खुले तौर पर पति–पत्नी के रूप में रह रहे थे। दलील दी गई कि अपीलकर्ता का जन्म, प्रतिवादी और उसकी मां के बीच विवाह होने के बाद हुआ था। यह भी कहा गया कि वह जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उस स्कूल में उसे प्रतिवादी के बेटे रूप में बताया गया था। इतना ही नहीं उसने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन किया था। वहीं उसे राशन कार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में भी दिखाया गया था। न्यायमूर्ति ए.पी ठक्कर ने कहा कि प्रतिवादी 80 वर्ष की आयु का है। ऐसे में अगर डीएनए परीक्षण या टेस्ट की अनुमति नहीं दी गई तो मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु जैसी कोई अप्रिय घटना होने के कारण मामले में सबूत उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है। साथ ही कहा है कि वादी (मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति) ट्रायल कोर्ट के समक्ष 1 लाख रुपये जमा करे। यदि डीएनए रिपोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि प्रतिवादी ही वादी का जैविक पिता है तो यह राशि प्रतिवादी को दी जाएगीऔर यदि रिपोर्ट सकारात्मक आती है, तो वादी को यह राशि वापस की जा सकती है। आदेश की प्रतिलिपि जारी नहीं की गई है ताकि संबंधित पक्षकारों की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके, क्योंकि आद. श में कई स्थानों पर उनके नामों का उल्लेख किया गया है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
राष्ट्रीय
07
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2019
P.

दिल्ली में रोज 27 लोगों की सांस की बीमारी से हो रही मौत

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। राजधानी में सांस की बीमारियों से प्रतिदिन 27 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सांस की बीमारियों और उसके कारण होने वाली मौत का बड़ा कारण प्रदूषण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में श्वसन तंत्र से संबंधित कैंसर से 551 व सांस की अन्य बीमारियों से पीड़ित 9321 मरीजों की मौत हुई थी। फाउंडेशन ने यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्रदूषण से संबंधित चार साल के आंकड़े जुटाए थे। जिसमें कहा गया है कि चार साल में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंगू की रोकथाम में कामयाबी मिली है लेकिन वर्ष 2018–19 में डायरिया से पांच लाख 14 हजार 52 लाख लोग व टाइफाइड से 51,266 लोग पीड़ित हुए। इसका कारण पेयजल दूषित होना बताया गया है। वर्ष 2018 में लोगों ने दूषित जल की 36,426 शिकायतें कीं। यहां केवल छह फीसद लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है। गत वित्त वर्ष में पार्षदों ने स्वास्थ्य से जुड़े 1252 मामले व विधायकों ने 264 मामले उठाए। नगर निगम की डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की 21 फीसद व दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियों में 34 फीसद कमी है। एक तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण भी लोगों बीमारी ठीक नहीं होती है।

सीओपीडी के 53.7 फीसद मरीजों में बीमारी का कारण बन रहा प्रदूषण

प्रदूषण के दुष्प्रभाव से सांस की बीमा. रियां बढ़ रही हैं। एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले तीन दशक में सांस की बीमारी सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) से पीड़ित मरीजों की संख्या देश में करीब दोगुनी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण बन रहा है। इसके अलावा अस्थमा की बीमारी भी बढ़ी है। यह बात जेसीएस इंस्टीट्यूट–पल्मोनरी क्रिटिकल केयर अस्पताल के चेयरमैन डॉ. जेसी सूरी ने कही।

अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लांसेट

में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में जितने लोग सांस की क्रोनिक (पुरानी बीमारी) से पीड़ित होते हैं, उनमें 32 फीसद भारत में हैं। अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1990 में सीओपीडी से करीब 2.81 करोड़ लोग पीड़ित हुए थे। वर्ष 2016 में मरीजों की संख्या बढ़कर 5.53 करोड़ हो गई। वहीं, अस्थमा के मरीजों की संख्या 2.29 करोड़ से बढ़कर 3.79 करोड़ हो गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 4.2 फीसद लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं। वहीं, 2. 9 फीसद लोग अस्थमा से पीड़ित हैं।

लोगों की कब्र पर नहीं किया जा सकता औद्योगिक विकास : एनजीटी

हरियाणा को कारखानों की निरीक्षण अवधि घटाने का निर्देश

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की निरीक्षण अवधि घटाने का निर्देश देते हुए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने

गुरुवार को कहा कि लोगों की कब्र पर औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता। लिहाजा, हवा और पानी की गुणवत्ता की कीमत पर औद्योगिक विकास नहीं किया जाना चाहिए।

एनजीटी चेयरमैन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मामलों में निरीक्षणों की अवधि घटाने और और निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, 'प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। बाधाओं में कमी की जा रही है, उनका सरलीकरण किया जा रहा है और उन्हें छोटा किया जा रहा है। औद्योगिक वृद्धि और रोजगार सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही ऐसे कदमों को हवा और पानी की खराब हो रही गुणवत्ता के खिलाफ संतुलित करने की जरूरत है।' एनजीटी ने कहा कि कम प्रदूषण फैलाने वाली 'ग्रीन कैटेगरी' पर भी निगरानी रखने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'ग्रीन' दर्जे का सही अर्थो में इस्तेमाल किया जा रहा है।

तय की निरीक्षण अवधि

टिब्यूनल ने कहा कि हवा और पानी की गुणवत्ता के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों में नीतियों में संशोधन किया जाए। नीति में जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत निरीक्षण का प्रावधान हो। इस संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट अगली तारीख से पहले ईमेल के जरिये दाखिल की जा सकती है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 कैटेगरी के उद्योगों में निरीक्षण की अवधि तीन महीने, रेड कैटेगरी के उद्योगों में छह महीने, ओरेंज कैटेगरी के उद्योगों में एक साल और ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों में दो साल होगी।

हरियाणा में 11 जिलों के भूजल में फ्लोराइड

एनजीटी ने यह निर्देश शैलेष सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। याचिका में मांग की गई है कि जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत जरूरी अनुमति के बिना चल रही औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जाए। याचिका में उस खबर का हवाला दिया है जिसके मुताबिक दक्षिण और पश्चिम हरियाणा में 11 जिलों के अधिकांश इलाकों में नाइट्रेट या फ्लोराइड की अधिकता से खारेपन के कारण भूजल पीने योग्य नहीं है।

पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश

टिब्यूनल ने हरियाणा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में इंगित की गई खामियों के खिलाफ सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए खासकर भूजल में फ्लोराइड के संबंध में, जहां प्रभावित आबादी को समयबद्ध तरीके से पेयजल उपलब्ध कराने की जरूरत है।

बीएसएनएल से वेंडरों की अपील- दे दो पेमेंट वर्ना 1 लाख लोग हो जाएंगे बेरोजगार

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

नई दिल्ली। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बकाये के चलते एक लाख लोगों की रोजी–रोटी पर संकट आ गया है. यह बकाया 20 हजार करोड़ रुपये का है. दरअसल बीएसएनएल फिलहाल इसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर दिख नहीं रही है. यह बकाया बीएसएनएल को सपोर्ट सर्विस का सामान मुहैया कराने वाली कई कंपनियों का है.

संकट में एक लाख नौकरियां

बता दें, इन कंपनियों से दो लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और बीएसएनएल से बकाया नहीं मिलने पर कंपनियों कर्मचारियों की छंटनी करने पर मजबूर हैं. आशंका है कि हर दो में से एक आदमी की रोजी–रोटी छिन जाएगी, यानी एक लाख लोग बेरा. `जगार हो जाएंगे.

पेमेंट नहीं मिलने से वेंडर्स परेशान

पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक बैंकों ने वेंडर पर बकाया चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है. वेंडरों की 19 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने की योजना है. उसके बाद 10 दिन में भुगतान नहीं मिला तो दिवा. लिया अदालत (एनसीएलटी) जाएंगे. उन्होंने कहा कि ठैछस् से वेंडरों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से करीब 1 लाख रोजगार प्रभावित हो रहे हैं. गौरतलब है कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के रिवाइवल के लिए पिछले महीने 69,000 करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया था, लेकिन बहुत के वेंडरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ.

उम्रदराज कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी

वहीं बीएसएनएल ने संकट से उबरने के लिए अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी में है. कर्मचारियों के लिए बीएसएनएल वीआरएस विंडो खोल देगी. इसका मतलब है कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ही अपनी मर्जी से रिटायर होना चाहते हैं वे रिटायरमेंट ले सकते हैं. बीएसएनएल को उम्मीद है कि 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारी वीआरएस के लिए जरूर एप्लीकेशन देंगे.

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
देश–विदेश
08 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, नवंबर, 2019

बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने से पहले माता-पिता दोनों की सहमति आवश्यक

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भरण पोषण की अपील पर दिया फैसला

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि माता और पिता, दोनों की सहमति के बगैर संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं भेजा जा सकता। ऐसे मामलों में उस अभिभावक की सहमति विशेष रूप से आवश्यक है, जिसे संतान के विदेश में रहने और पढ़ने को खर्च उठाना है। शीतल भटिजा की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने पति दीपक के खिलाफ दाखिल के एक मामले में जघस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस एसजे काठवाला की डिवीजन बेंच ने ये टिप्पणी की। शीतल भटिजा ने उच्च न्यायालय में फेमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने शीतल के पति को अपनी दोनों बेटियों को 50 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने को निर्देश दिया था।

क्या है मामला

फेमिली कोर्ट शीतल और दीपक की शादी, दोनों की आपसी सहमति से, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13–बी के तहत रद्द कर चुकी है। शीतल शादी रद्द करने के लिए दायर तलाक की अर्जी में अपने और दो बेटियों के रखरखाव के लिए गुजारा भत्ता, आवास और मुकदमे का खर्च मांगा था। उन्होंने कोर्ट से अपनी दोनों बेटियों सृष्टि और श्लोका के भरण पोषण का खर्च और खार जिमखाना की अपनी एसोशिएट मेंबरशिप बहाल करने की मांग भी की थी। हालांकि कोर्ट के फैसले में उनकी अधिकांश मांगे नहीं मानी गईं, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपील ने शीतल ने खुद के लिए 50 हजार रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता मांगा, साथ ही अपने और अपनी बेटियों के लिए 55 हजार रुपए मकान का किराया मांगा था। उन्होंने बेटी की ऑस्ट्रेलिया में हुए उच्च शिक्षा पर खर्च 1.20 करोड़ रुपए की भरपाई की भी मांग की थी। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए पढ़ाई की बची अवधि के लिए हर महीने लगभग 2100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर राशि की मांग भी की थी। साथ ही छोटी बेटी श्लोक के लिए एक लाख रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता और मुकदमे में खर्च 20 हजार रुपए की मांग की थी।

जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस एसजे काठवाला की डिवीजन बेंच के समक्ष शीतल की ओर से एडवोकेट अभिजीत सरवटे और अजिंक्य उडाने ने पक्ष रखा, जबकि पति दीपक की ओर से आशीष कामत और रामचंद्र यादव ने दलीलें पेश कीं। वादी के वकील एडवोकेट अभिजीत सरवटे का कहना था कि शीतल के पति दीपक के पास आमदनी के कई स्रोत हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने फेमिली कोर्ट को नहीं दी। साथ ही उच्च्च न्यायालय से भी छिपा रखी है।

दीपक का सूद पर रुपए देने और फाइनेंसिंग का कारोबार रहा है। वो अतीत में कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों में भी पैसा लगा चुके हैं। वो कई अचल संपत्तियों के मालिक हैं और आलीशान

जिंदगी जीते हैं। एडवोकेट सरवटे ने कहा कि जब दीपक और शीतल साथ रहते थे, तब वे छुट्टियों में अक्सर विदेश जाया करते थे। वे अपने साथ बच्च्चों की देखभाल के लिए आया भी ले जाते, ये तथ्य दीपक की आमदनी और उनकी आलीशान जिंदगी का स्पष्ट खुलासा करते हैं। अपील के मुताबिक, शीतल ने अपनी बड़ी बेटी सृष्टि को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा था, जिसके लिए उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और पैरामाउंट टॉवर स्थित फ्लैट को गिरवी रखा। सृष्टि ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया की एडिथ कॉवन यूनिवर्सिटी में स्नातक में दाखिला लिया था। शीतल के मुताबिक, 5 साल के कोर्स का अनुमानित खर्च 1.20 करोड़ है। वहीं, वादी की दलीलों के जवाब में प्रतिवादी दीपक के वकील आशीष कामत ने कहा कि उनके मुवक्किल दिल के मरीज हैं और अब उनके पास कोई सक्रिय बिजनेस नहीं रह गया है। दो अचल संपत्तियों, जिनमें एक उनका आवास है और दूसरी लीज पर दी गई है, उनके पास कोई अचल संपत्ति भी नहीं है। एडवोकेट कामत का कहना था कि वादी शीतल अपने कारोबार में लगी हुई हैं। वो मकान से भी पैसे कमाती हैं। दोनों बेटियों के नाम फ्लैट है, जिससे लीज के एवज में हर महीने 1.30 लाख की आमदनी होती है। हाल ही में वो मेसर्स लेरीज इम्पेक्स नाम की फर्म से भी जुड़ी हुईं थीं, जिसके एवज में उन्होंने हर महीने 75 हजार रुपए की कमाई होती थी।

अदालत का फैसला

जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस एसजे काठवाला की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले के आरंभ में कहा कि दोनो पक्षों ने अपनी–अपनी दलीलों में अपनी आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर बताने की कोशिश की है, जब्बकि दूसरे पक्ष को बहुत ही रंगीन तस्वीर पेश की है। कोर्ट को मुकदमें में पेश दस्तावेजों के आधार पर ही नतीजे पर पहुंचना होगा। दोनों जजों की बेंच ने वादी शीतल भटिजा की माली हालत का आंकलन करने के बाद कहा धकि इसमें कोई शक नहीं कि शीतल के पति दीपक के पास अतीत में आमदनी के पर्याप्त स्रोत रहे हैं, फिर भी फिलहाल उनकी आमदनी के बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने माना कि अतीत में दीपक के कई कारोबार रहे हैं, जिसमें फिल्मों की फाइनेंसिंग और प्राइवेट फाइनेंसिंग भी शामिल है। ऐसे निवेश रातों–रात खत्म नहीं हो जाते, इसलिए अदालत पति की ओर से पेश की दलीलों पर पूरी तरह यकीन नहीं करती। हालांकि उन्हीं पर बेटियों की शिक्षा का पूरा खर्च डालना भी उचित नहीं है, क्योंकि–

1. वादी शीतल अपनी पति के आर्थिक हालात के बारे में ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाईं हैं।
2. साथ ही बेटी को शिक्षा के लिए विदेश भेजने का फैसला पति की सलाह के बगैर लिया गया है। पति से सलाह न लेने का कारण जो भी रहा हो।
3. यदि संतान को, अपेक्षाकृत कम उम्र में, उच्च्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा, जिस पर काफी पैसे खर्च हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों अभिभावकों यानी माता और पिता का एकराय होना आवश्यक है। विशेष रूप से उस अभिभावक की सहमति अवाश्यक है, जिसे पढ़ाई का खर्च उठाना है।

अदालत ने कहा कि पति को निश्चित रूप से पूरा अधिकार है कि वो विदेश में पढ़ने जा रही संतान के विश्वविद्यालय, कोर्स और उस कोर्स में संतान के रुझान के बारें में पूछताछ करे। वादी ऐसे मामलों में एकतरफा फैसला लेकर पिता को पढ़ाई का बिल नहीं पकड़ा सकता। मामले में पति की आर्थिक हालत और ये देखते हुए कि उनकी बड़ी बेटी सृष्टि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा कर रही हैं, कोर्ट दीपक को वादी शीतल भतीजा को चार हफ्तों के भीतर 25 लाख रुपए देने का निर्देश देती है।

होटल, रेस्टोरेंट के रसोई घर का निरीक्षण कर सकेंगे ग्राहक

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

अहमदाबाद। गुजरात में अब किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाने की कोई शिकायत हो या रसोई घर देखना हो तो ग्राहक उसे देख सकेंगे और इस्तेमाल की जा रही वस्तुओं का निरीक्षण भी कर सकेंगे।

गुजरात सरकार ने एक सकरुलर जारी कर ग्राहकों के हित में यह प्रावधान किया है। गुजरात में पिछले एक महीने में करीब छह प्रतिष्ठित होटलों में ग्राहकों ने खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की थी। इस कारण कई बार ग्राहकों और होटल कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई और थाने में केस हुए।

मनपा अधिकारियों ने अहमदाबाद में मैकडोनाल्ड के होटल के पीजा में कीड़ा मिलने के बाद उसे सील कर दिया था। गुजरात सरकार ने ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए यह सकरुलर जारी कर प्रदेश के तमाम महानगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि होटल, कैंटीन और रेस्टोरेंट की रसोई के बाहर नो इंट्री का बोर्ड लगा हो तो उसे तत्काल हटवाएं और होटल संचालकों से बात कर ग्राहकों को रसोई के अंदर की स्थिति देखने के लिए अलग से दरवाजा लगवाएं। गुजरात सरकार के इस कदम का होटल संचालकों ने स्वागत किया है। होटल संचालकों ने कहा कि सरकार का सकरुलर ग्राहकों के साथ ही उनके के लिए फायदेमंद साबित होगा।

वेतन बढ़ोतरी के लिए जिंबाब्वे के अधिकारी हड़ताल पर

–उद्योग विहार (नवंबर 2019)–

हरारे। जिंबाब्वे में आसमान छूती महंगाई से तंग आकर नागरिक सेवा अधिकारियों ने देशव्यापी हड़ताल कर वेतन में बढ़ोतरी की मांग की। उनका कहना है कि जरूरत की सभी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में वह वर्तमान में मिल रहे वेतन से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग सिविल सेवा अधिकारियों के लिए बनाए गए एपेक्स काउंसिल कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे। लोगों ने गाना गाने और नाचने के साथ ही सरकार के खिलाफ पोस्टर लहराए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों व पुलिस बलों में झड़प भी हुई। बीते कुछ समय में अफ्रीकी देश में महंगाई वृद्धि दर बहुत अधिक बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के मुताबिक अब यह 300 फीसद पर पहुंच गई है। लोगों का जीवन अधिक प्रभावित

हुआ है। महंगाई नियंत्रित करने और वेतन वृद्धि के लिए डॉक्टर व नर्स पहले ही 63 दिनों से हड़ताल पर थे। सरकार हड़ताल में शामिल 77 डॉक्टरों को बर्खास्त भी कर चुकी है, लेकिन विरोध कम नहीं हुआ है। अब नागरिक सेवा अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए हैं। बुधवार की हड़ताल में हिस्सा लेने वाले शिक्षक चार्ल्स मुबवांडरिक्वा ने कहा, 'महंगाई की समस्या पर सरकार तक सीधा संदेश पहुंचाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। अगर सरकार चाहती हैं देश का कामकाज ठप ना हो तो उसे वेतन बढ़ोतरी करनी पड़ेगी।'

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह